समाचार–प्रकाशनार्थ :–

38 अनुपस्थित सफाई मित्रों का वेतन काटा

सेवा से बर्खास्त व निलंबन का दिया कारण बताओ सूचना–पत्र

रतलाम 09 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 38 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

वार्डो में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 1 में 19, झोन क्रमांक 2 में 10, झोन क्रमांक 3 में 5 व झोन क्रमांक 4 में 4 इस तरह कुल 38 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

गार्बेज फ्री सिटी बनाने हेतु पर्यवेक्षकों को दिया प्रशिक्षण

रतलाम 09 फरवरी । रतलाम नगर को गार्बेज फ्री सिटी बनाने हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण कार्य हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया की उपस्थिति में प्रशिक्षण दिया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने नियुक्त पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि रतलाम नगर के प्रत्येक वार्ड को कचरा मुक्त वार्ड बनाना इस हेतु वे प्रातः 6 से 8 बजे तक अपने–अपने वार्डो में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि कचरा संग्रहण वाहन के माध्यम से प्रत्येक घर से 4 तरह का कचरा पृथक–पृथक संग्रहित हा इस हेतु नागरिकों को भी 4 अलग–अलग प्रकार के कचरे के संग्रहण के लिये 4 डस्टबीन रखें।

इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि सफाई मित्रों की प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे हाजरी के दौरान उपस्थिति स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रतिदिन अनुपस्थित सफाई मित्रों की जानकारी व्हाट्स एप ग्रुप में अपलोड करें साथ ही वार्ड में किसी भी स्थान पर कचरा एकत्रित ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये। स्वच्छता कार्य वार्ड दरोगा व झोन प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर करवाये व किसी भी प्रकार की रूकावट या परेशानी आने पर अवगत करायें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि गार्बेज फ्री वार्ड बनाने के साथ–साथ सुन्दर भी बनाया जाना है इस हेतु वार्डो में वॉल पेंटिग हुई है या नही यदि नहीं हुई है तो इसकी सूचना व्हाट्स एप ग्रप में दें।

प्रशिक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर को उच्चतम् रैंक प्राप्त हो इस हेतु सभी पर्यवेक्षक अपने–अपने वार्डो को गार्बेज फ्री सिटी बनाने हेतु पुरी निष्ठा, लगन व ईमानदारी से अपने कार्य में जुट जायें।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ शेख, श्री सत्यप्रकाश आचार्य, लेखापाल श्री जगदीश पांचाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए. पी. सिंह, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी ब्रजेश कुशवाह, मनीष तिवारी सहित झोन प्रभारी, नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 08 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पालीथोन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम के विभिन्न करों से 19.31 लाख हुआ राजस्व प्राप्त
मोती नगर में 8 बकायादारों व 3 अवैध नल कनेक्शन विच्छेद

रतलाम 09 फरवरो । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 08 फरवरो मंगलवार को कुल राशि रूपये 19,31,159/– का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 09 फरवरी बुधवार को संपत्तिकर शिविर से 191836, कार्यालय 133736, वसूली दल 366000 कुल 691572, जलकर शिविर 72860, कार्यालय 348935, वसूली दल 190450 कुल 612245, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 162622 व वसूली दल 108415 कुल 271037, लीजरेंट 49142, कम्पाउडिंग 304963 स्पॉट फाइन 2200 इस तरह कुल राशि रूपये 19,31,159/– का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के जलप्रदाय अमले द्वारा मोतीनगर में 8 बकायादारों व 3 अवैध नल संयोजनों को विच्छेद किया गया।

सीवरेज ट्रीटेड पानी का पुर्नउपयोग (रियूज) प्रारंभ
नागरिक भवन निर्माण, सिंचाई आदि के उपयोग में नगर निगम से न्यूनतम दर पर क्रय कर सकते है ट्रीटेड पानी

रतलाम 9 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट मं सीवरेज के ट्रीटेड किये गये पानी का पुर्नउपयोग (रियूज) का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

नगर निगम द्वारा एसटीपी प्लांट में ट्रीटेड किये गये पानी का उपयोग भवन निर्माण, सिंचाई, उद्यान आदि के उपयोग के लिये नगर निगम से न्यूनतम दर प्राप्त कर सकते है। नगर निगम द्वारा इस पानी का उपयोग छिड़काव, उद्यान सहित अन्य कार्यो में किया जा रहा है।

महावीर नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 69.73 लाख व जलकर 16.31 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 09 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/- व जलकर 54,850/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/- व जलकर 34,520/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/- व जलकर 63,450/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/- व जलकर 1,19,720/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/- व जलकर 62,950/-, तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/- व जलकर 28,870/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/- व जलकर 14,000/-, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/- व जलकर 1,04,640/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/- व जलकर 1,21,090/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/- व जलकर 47,000/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/- व जलकर 83,700/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/- व जलकर 27,540/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/- व जलकर 40,240/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/- व जलकर 31,760/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/- व जलकर 72,440/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/- व जलकर 37,465/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/- व जलकर 36,660/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/- व जलकर 92,125/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/- व जलकर 64,770/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,59,241/- व जलकर 28,140/-, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6,11,920/- व जलकर 1,56,600/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 3,60,338/- व जलकर 1,67,280/-, किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 3,89,541/- व जलकर 76,625/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,20,807/- व जलकर 37,520/-, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,91,836/- व जलकर 72,860/- की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश

देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

9 फरवरी को 1.55 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 09 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 09 फरवरी बुधवार को 1.55 मिट्रिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

09 फरवरी बुधवार को डम्पर से 21725, ट्रेक्टर से 11755, काम्पेक्टर सूखा कचरा 16460, काम्पेक्टर गीला कचरा 15885, डम्पर नाला मलबा 85420, मैजिक सूखा 2355 व मैजिक गीला 2090 किलो इस तरह कुल 155690 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

रतलाम 09 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरो तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बन अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 09 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत 196 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 09 फरवरी । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 09 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 09 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 09 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 09.02.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.